/59410/2022

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2022**

विषयः– जनपद हरिद्वार में गंगा नदी पर बालावाली–खानपुर तटबन्ध निर्माण की योजना हेतु प्रतिरूप अध्ययन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–261/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सी0एस0एस0– एफ0एम0पी0), दिनांक 28.05.2022, पत्र संख्या–253/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य), दिनांक 17.07.2021 एवं पत्र संख्या–328/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (सामान्य), दिनांक 13.08.2021 द्वारा किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से **जनपद हरिद्वार में गंगा नदी पर बालावाली–खानपुर तटबन्ध निर्माण की योजना पर प्रतिरूप अध्ययन हेतु** सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की के अन्तर्गत जल विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, बहादराबाद के जल विज्ञान शोध ईकाई–2, बहादराबाद के शोध अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परफॉरमा बिल, कुल लागत ₹ 45.00 लाख (रूपये पैंतालिस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 45.00 लाख (रूपये पैंतालिस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017, समय–समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय निर्गत शासनादेशों एवं आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

/59410/2022

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा
दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) योजना की कुल लागत अध्यधिक होने के दृष्टिगत, योजना का वित्त पोषण भारत सरकार से कराये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(vii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य की क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(viii) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–236/XXVII(1)/2022/09(150)2019, दिनांक 04.04.2022, शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(ix) उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं अथवा उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई भी अस्पष्टता/भ्रम प्रतीत हो रहा हो तो उसके सम्बन्ध में शासन से तत्काल वस्तुस्थिति स्पष्ट करा ली जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण तथा अन्वेषण–03–निर्माण कार्य–00–53–वृहत निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–।/57962/2022, दिनांक 24 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 30-08-2022 15:04:33

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वित्त अनु–2, / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, हरिद्वार।
5. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
6. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 30-08-2022 15:14:00

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।